न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री भवानीसिंह, RAS)

राजस्व आवेदन संख्या 29/2023

अन्तर्गत धारा 251A RT Act.

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. चुतराराम पुत्र रूपाराम 2. खेमाराम पुत्र रूपाराम जाति जाट, निवासी मौखाबकला तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. पुनमाराम पुत्र भूराराम 2. तुलछाराम पुत्र पुनमाराम 3. जोगाराम पुत्र डालूराम 4. भूराराम पुत्र डालूराम 5. हरिराम पुत्र डालूराम 6. नौपीदेवी पत्नी डालूराम 7. नगाराम पुत्र चुनाराम 8. जोगाराम पुत्र चुनाराम 9. जसीदेवी पत्नी चुनाराम जाति जाट, निवासी मौखाबकला तहसील शिव, जिला बाड़मेर 10. राज0 राज्य जरिये तहसीलदार शिव 11. शाखा प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया मौखाबकला

उपस्थित :– 1. अधिवक्ता प्रार्थीगण – श्री नरेन्द्रसिंह सियाग।
2. अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 1 से 8 – श्री बालाराम गोदारा।

–:: आदेश ::–

दिनांक : 09.02.2024

संक्षेप में आवेदन के तथ्य निम्न प्रकार है कि प्रार्थीगण का खातेदारी एवं कब्जासुदा खेत खसरा नम्बर 455/149 रकबा 8.1423 हैक्टेयर मौजा मौखाबकला, तहसील शिव में आये हुए है। जिस पर प्रार्थीगण काबिज काश्त है। प्रार्थीगण को अपने खातेदारी जोत में आने जाने हेतु उससे लगते विप्रार्थी संख्या 1 के खेत खसरा नम्बर 149 रकबा 8.1018 हैक्टेयर, विप्रार्थी संख्या 2 के खेत खसरा नम्बर 453/148 रकबा 11.5092 हैक्टेयर एवं विप्रार्थी संख्या 3 से 9 के खेत खसरा नम्बर 146 रकबा 0.4209 हैक्टेयर की खातेदारी भूमि में प्रार्थीगण के आवागमन हेतु नवीन रास्ता खुलवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में काश्त करने के लिए तथा कृषि कार्य के लिए ट्रेक्टर व अन्य साधन लाने व ले जाने हेतु उक्त प्रस्तावित रास्ते का ही उपयोग लिया जा रहा है। प्रार्थीगण को उक्त प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई निकटतम रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त रास्ता आगे ग्राम मौखाब से पोशाल जाने वाली डामर सड़क से जुड़ने हेतु चाहा गया है। उक्त प्रस्तावित रास्ता नियमानुसार धारा 251 ए की सम्पूर्ण अर्हताएं पूरी करता है। अतः प्रार्थीगण का निवेदन है कि प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार कर नियमानुसार बाद जांच उपरोक्तानुसार अपने कृषि जोत में आने जाने हेतु नया रास्ता का आदेश फरमाया जावें। प्रार्थीगण नियमानुसार रास्ते हेतु घोषित भूमि की क्षतिपूर्ति/प्रतिकर राशि जमा करवाने हेतु वचनबद्ध है।

प्रार्थीगण का आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण को जरीये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार शिव से मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्राप्त की गई। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी संख्या 1 द्वारा आपसी सहमति से राजीनामा होने पर प्रार्थीगण के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 455/149 में आने जाने हेतु विप्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी खसरा नम्बर 149 रकबा 8.1018 हैक्टेयर भूमि में से 0.0486 हैक्टेयर भूमि रास्ते हेतु दिया जाना तय किया गया है। डामर सड़क तक उक्त प्रस्तावित रास्ता राजीनामा के संलग्न परिशिष्ट 'ए' अनुसार विप्रार्थी संख्या 1 द्वारा सहमति प्रदान की गई है। विप्रार्थी संख्या 1 द्वारा खसरा नम्बर 149 रकबा 8.1018 हैक्टेयर भूमि में से 0.0486 हैक्टेयर भूमि बिना प्रतिफल राशि लिये रास्ते हेतु घोषित करवाने बाबत् सहमति प्रदान की गई। राजीमाना उभयपक्ष की उपस्थिति में बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया।

प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि पूर्व में प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी में आवागमन हेतु विप्रार्थीगण की खातेदारी से नवीन रास्ता चाहा गया है, किन्तु वर्तमान में प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी संख्या 1 के मध्य राजीनामा होने से

Scanned with OKEN Scanner

राजीनामा अनुसार खसरा नम्बर 149 रकबा 8.1018 हैक्टेयर भूमि में से 0.0486 हैक्टेयर की भूमि राजीनामा के संलग्न परिशिष्ट 'ए' अनुसार आवागमन हेतु नया रास्ता कटाण का आदेश फरमाया जावें। विप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस के तथ्यों की ताईद करते हुए राजीनामा अनुसार आवेदन स्वीकार किया जाकर रास्ता कटाण बाबत् सहमति प्रदान की गई।

हमने प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थी संख्या 1 से 9 की खातेदारी भूमि से रास्ता चाहा गया है, परन्तु बाद में प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी संख्या 1 के मध्य राजीनामा हो जाने से केवल विप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी से रास्ता कटाण बाबत् सहमति होने से शेष विप्रार्थीगण से कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। राजीनामा अनुसार प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी में आवागमन हेतु विप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपने खातेदारी खेत खसरा नम्बर 149 रकबा 8.1018 हैक्टेयर भूमि में से 0.0486 हैक्टेयर भूमि प्रस्तावित रास्ता परिशिष्ट 'ए' अनुसार बिना प्रतिफल राशि लिये दिये जाने बाबत् सहमति प्रदान की गई है। उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा पक्षकारान् द्वारा पेश राजीनामा के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ए' अनुसार रास्ता कटाण बाबत् सहमति प्रदान की गई है। अतः ऐसी स्थिति में पक्षकारान् के मध्य आपसी सहमति होने पर राजीनामा के संलग्न प्रस्तावित नक्शा परिशिष्ट 'ए' अनुसार रास्ता निकालने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जासुदा खेत मौजा मौखाबकलां, पटवार मण्डल मौखाब तहसील शिव के खसरा नम्बर 455/149 रकबा 8.1423 हैक्टेयर की भूमि में आवागमन हेतु विप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 149 रकबा 8.1018 हैक्टेयर भूमि में से 0.0486 हैक्टेयर भूमि राजीनामा के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ए' अनुसार विप्रार्थी संख्या 1 द्वारा बिना प्रतिफल राशि लिये सहमति प्रदान करने पर प्रस्तावित रास्ते की भूमि का सरकारी खाते में राजकीय भूमि के रूप में अमलदरामद एवं नक्शा ट्रेस में दुरस्ती सुनिश्चित किये जाने के आदेश किये जाकर तहसीलदार शिव को अमलदरामद किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है। उक्त रास्ता सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवागमन हेतु खुला रहेगा। राजीनामा के संलग्न प्रेषित प्रस्तावित नक्शा परिशिष्ट 'ए' इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) शिव

आदेश आज दिनांक 09.02.2024 को सरे इजलास सुनाया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) शिव

Scanned with OKEN Scanner